इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 20] भोपाल, सोमवार, दिनांक 13 जनवरी 2025 पौष 23, शक 1946

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्र. 3865/आर–1851162–2024–बी–1–दो. भोपाल, दिनांक 13 जनवरी 2025

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46) की धारा 265 की उप-धारा (3) के द्वितीय परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, अधिसूचित करती है, कि नेशनल इन्फर्मेटिक्स सेंटर, दिल्ली द्वारा दाण्डिक न्याय प्रणाली के लिए एक राष्ट्रीय वीडियोकान्फ्रेंसिंग ग्रिड (नेशनल वीडियों कान्फ्रेंसिंग ग्रिड) तैयार किया गया है जिसके माध्यम से वीडियो कान्फ्रेंसिंग की जा सकती है, अतएव गृह विभाग, मध्यप्रदेश शासन, वल्लभ भवन, मंत्रालय, भोपाल द्वारा जारी अधिसूचना क्र.1851162-2024-बी-1, दिनांक 27 जून, 2024 के अलावा, उक्त परंतुक के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार निम्नलिखित स्थानों को अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

1. कलक्टर/उपखण्ड मजिस्ट्रेट कार्यालय।
2. पुलिस आयुक्त कार्यालय।
3. पुलिस अधीक्षक कार्यालय।
4. नगर पुलिस अधीक्षक, सहायक पुलिस आयुक्त, अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) कार्यालय।
5. जिला जेल/उप जेल।
6. शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, शासकीय जिला चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र।
7. केन्द्रीय एवं क्षेत्रीय न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला, राज्य परीक्षक प्रश्नास्पद प्रलेख कार्यालय।
8. पर्यवेक्षण गृह, विशेषगृह, बाल गृह, आश्रय गृहया कोई संगठन, जिसे बाल सुविधा केन्द्र कहा जाता है।
9. महिला संरक्षण गृह, आश्रय गृह,नारी निकेतनया अन्य कोई संगठन, जिसे महिला सुविधा केन्द्र कहा जाता है।
10. आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, लोकायुक्त संगठन, नारकोटिक्स, स्पेशल टास्क फोर्स, अपराध अनुसंधान विभाग, सायबरके जिला कार्यालय एवं मुख्यालय।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव राजपूत, सचिव.

भोपाल, दिनांक 13 जनवरी 2025

क्र. आर—1851162—2024—बी—1—दो.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 13 जनवरी 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव राजपूत, सचिव.

No. 3865 R-1851162-2024-B-1-Two. Bhopal, the 13rd January 2025

In exercise of the powers conferred by second proviso to sub-section (3) of section 265 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (46 of 2023), the State Government, hereby, notifies that Nyayshruti-A National Video Conferencing Grid for Criminal Justice System has prepared by the National Informatic Centre, Delhi through which the video conferencing may be done, therefore, apart from the Notification No. 1851162-2024-B-1, dated 27th June, 2024 issued by the Home Department, Government of Madhya Pradesh, Vallabh Bhawan, Mantralaya, Bhopal for the purpose of the said proviso, the State Government notifies the following places, namely:-

1. Office of the Collector/Sub-divisional Magistrate.
2. Office of the Police Commissioner.
3. Office of the Superintendent of Police.
4. Office of the City Superintendent of Police, Assistant Police Commissioner, Sub-divisional Officer (Police).
5. District Jail/Sub-jail.
6. Government Medical College, Government District Hospital, Community Health Centre, Primary Health Centre.
7. Office of the Central and Regional Judicial Science Laboratory, State Examiner of Questionable Document.
8. Observation Home, Special Home, Children Home, Shelter Home or any Organisation which is called Children Facilitation Centre.
9. Women Conservation Home, Shelter Home, Women Abode or any Organisation which is called Women Facilitation Centre.
10. Economic Offence Wing, Lokayukt Organisation, Narcotics, Special Task Force, Crime Investigation Department, District and Head Office of Cyber.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
GAURAV RAJPUT, Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2025.